राजस्थान राज्य

बनाम

खुमा

8 सितंबर, 2004

(अरिजीत पासायत और सी.के. ठक्कर जे. जे.)

दंड संहिता, 1860 - धारा 302- हत्या - परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय द्वारा बरी - अपील होने पर, अभिनिर्धारित किया गयाः परिस्थितियाँ ऐसी निर्णायक प्रकृति की नहीं थीं कि अभियुक्त के दोषी होने के अलावा हर संभावना को खारिज कर दें - जिस गवाह ने अभियुक्त की पहचान की उसकी आँखों की दृष्टि बहुत कमजोर थी, और वह अभियुक्त की पहचान भाषण द्वारा नहीं कर सकता था क्योंकि किसी अन्य गवाह ने यह बयान नहीं दिया कि मृतक जब आरोपी के पास था तब उसने कुछ भी बोला था - यह असंभव था कि आरोपी जो कथित रूप से फरार था वह उसे स्वयं को अपराण में संलिप्त करने वाली सामग्री ले जाएगा, पुलिस के पास जाएगा और गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करेगा - खून से सने सामान की बरामदगी आरोपी द्वारा बताए जाने पर किया जाना कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि घटना स्थल आसानी से पहुंचने योग्य जगह थी और जब्त किए गए सामान पर मानव रक्त लगा होना भी स्थापित नहीं हो पाया है।

आपराधिक मुकदमा - साक्ष्य - "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" की विवेचना - चर्चा की गई।

प्रत्यर्थी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को तीन परिस्थितियाँ के आधार पर दोषी ठहराया गया। प्रथमतः यह की उसे ही आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था, द्वितीयतः यह कि उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास संलिप्त करने वाली सामग्री पाई गई थी, और तृतीयतः यह की उसके द्वारा बताए जाने पर ही खून से सना सामान बरामद किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरी किया गया। अतः हस्तगत अपीलें।

अपीलार्थी/राज्य ने तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा जिन परिस्थितियों को चिन्हित किया गया उक्त परिस्थितियां प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध किये जाने के लिए पर्याप्त हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

1.1. वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक मापदंड उपलब्ध नहीं थे ना ही परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की थीं। स्थापित तथ्य दोषसिद्ध होने की

परिकल्पना के अनुरूप नहीं है और ना ही अपराध की निर्दोषता के साथ परस्पर विरोधी है। अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध की संभावना को लुप्त करने के लिए भी कोई नैतिक निश्चितता नहीं है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्कसंगत निर्णय हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। (222 - बी, सी,)

1.2. जिन परिस्थितियों ने उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया वे यह थी कि उस आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था जो पी.डब्ल्यू.7, पी.डब्ल्यू.8 व पी.डब्ल्यू.30 के साक्ष्य पर आधारित था। पी.डब्ल्यू.7 की दृष्टि बहुत कमजोर थी। यहाँ तक कि, उक्त गवाह के स्वयं के बयान के अनुसार, वह किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी, भले ही वह पास से गुजर जाए। तथाकथित "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" को विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए लागू किया कि आरोपी और पी.डब्ल्यू.7 एक ही गाँव के होने के कारण, वह उसके भाषण से उसकी पहचान कर सकती थी। इसके अतिरिक्त किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि जब उसे कथित तौर पर मृतक के पास देखा गया तब आरोपी ने कोई बात की थी अथवा एक शब्द भी कहा हो। पी.डब्ल्यू.8 ने केवल इतना कहा कि उसने मृतक और पी.डब्ल्यू.7 को एक साथ देखा है। उक्त गवाह ने आरोपी के पास में मौजूद होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। पी.डब्ल्यू.30 की साक्ष्य भी किसी प्रकार से बेहतर नहीं है। ऐसा स्थिति में, "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" को प्रभाव में नहीं लाया जा सकता था।

दूसरी परिस्थिति संलिप्त करने वाली सामग्री की तथाकथित बरामदगी थी। उच्च न्यायालय ने यह पूरी तरह से असंभव पाया कि आरोपी जो कथित रूप से फरार था, लिप्त सामग्री लेकर पुलिस के पास असालतन जाएगा ताकि उसे उक्त लिप्त सामग्री के साथ गिरफ्तार किया जा सके। तीसरी स्थिति रक्तयुक्त वस्तुओं की बरामदगी की थी जिसे भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि घटना का स्थान आसानी से पहुंचने योग्य था तथा जब्त की गई वस्तुओं में मानव रक्त होना स्थापित नहीं था।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं 559-560 आॅफ 1999।

डी. बी. सी. आर. एल. में न्यायालय एम. आर. नं. 1/98, डी. बी. सी. आर. एल. जे. ए. नंबर 121/98 और डी. बी. सी. आर. एल. 1998 का ए. सं. 106 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.1998 को पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मधुरिमा तातिया और अरुणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पासायत, जे के द्वारा दिया गया -

अपीलार्थी-राज्य के लिए विद्वान वकील को सुना।

प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आई.पी.सी.) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के कथित अपराध के लिए विचारण का सामना करना पड़ा। हालँकि विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया, परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरी किया गया।

हमनें उच्च न्यायालय और मूल प्रकरण के निर्णयों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को दोषी ठहराने के लिए तीन परिस्थितियों का आधार लिया। जिनमें प्रथम परिस्थिति यह थी कि प्रत्यर्थी को आखिरी बार मृतक व्यक्तियों के साथ देखा गया था। दूसरी, यह कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास "कादियें" पाए गए और तीसरी, यह कि उसकी सूचना के आधार पर खून से सना सामान बरामद किया गया। प्रत्यर्थी/अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई गई। उसने जेल से ही जरिये अधिवक्ता उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की। विचारण न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सबूतों का विश्लेषण किया और आरोपी को निर्दोष पाया और उसे बरी करने का निर्देश दिया।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी-राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा रेखांकित परिस्थितियाँ अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थीं। विचारण न्यायालय ने आरोपी को सही आधारों पर दोषी पाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उक्त परिस्थितियों को आरोपी को दोषी

ठहराने के लिए अपर्याप्त होने के कारण खारिज करते हुए उक्त निर्णय को निष्प्रभाव करते कर दिया।

इस न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून को अभिनिर्धारित किया गया है। कई मामलों में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि परिस्थितियाँ ऐसी निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के आरोपित अपराध के दोषी होने के अलावा हर अन्य संभावना को बाहर कर दिया जाए। जिन परिस्थितियों ने उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, वे केवल यह थीं कि आखिरी बार अभियुक्त को ही मृतक के साथ देखा गया था। यह केवल पी.डब्ल्यू.7, 8 व 30 की साक्ष्य पर आधारित था। पी.डब्ल्यू.7 की दृष्टि बहुत कमजोर थी। यहाँ तक कि, उक्त गवाह के स्वयं के बयान के अनुसार, वह किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी, भले ही वह पास से गुजर जाए। तथाकथित "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" को विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए लागू किया कि आरोपी और पी.डब्ल्यू.7 एक ही गाँव के होने के कारण वह उसके भाषण से उसकी पहचान कर सकती थी। इसके अतिरिक्त किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि जब उसे कथित तौर पर मृतक के पास देखा गया तब आरोपी ने कोई बात की थी अथवा एक शब्द भी कहा हो। पी-डब्ल्यू-8 ने केवल इतना कहा कि उसने मृतक और पी.डब्ल्यू.7 को एक साथ देखा है। उक्त गवाह ने आरोपी के पास में मौजूद होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। पी.डब्ल्यू.30 की साक्ष्य भी किसी प्रकार से बेहतर नहीं है।

ऐसा स्थिति में "अंतिम बार देखे गए सिद्धांत" को प्रभाव में नहीं लाया जा सकता था। दूसरी परिस्थिति संलिप्त करने वाली सामग्री की तथाकथित बरामदगी थी। उच्च न्यायालय ने यह पूरी तरह से असंभव पाया कि आरोपी जो कथित रूप से फरार था, वह लिप्त सामग्री लेकर पुलिस के पास स्वयं जाएगा ताकि उसे उक्त लिप्त सामग्री के साथ गिरफ्तार किया जा सके। तीसरी स्थिति रक्तयुक्त वस्तुओं की बरामदगी की थी। जिसे भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि घटना का स्थान आसानी से पहुंचने योग्य था तथा जब्त की गई वस्तुओं में मानव रक्त होना स्थापित नहीं था। ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के मापदंड हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध नहीं थे ना ही परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की थीं। स्थापित तथ्य दोषसिद्ध होने की परिकल्पना के अनुरूप नहीं है और ना ही अपराध की निर्दोषता के साथ परस्पर विरोधी है। अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध की संभावना को लुप्त करने के लिए भी कोई नैतिक निश्चितता नहीं है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति होने से, उच्च न्यायालय के सुसपष्ट, युक्तियुक्त व तर्कसंगत निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

वी.एस.एस

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रीतिका श्रोति (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।